न्यायालय सहायक कलक्टर सिवाना (बालोतरा)
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 11/2016

वादीगण :–

1. प्रभूराम पुत्र चमनाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
2. नवलाराम पुत्र हिन्दूराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
3. सूजाराम गोद पुत्र आसाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
4. झमकू पत्नी आसाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
5. चेनाराम पुत्र जोगाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
6. गजरोदवी पत्नी जोगाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
7. रामाराम पुत्र जगमाल कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
8. सांवलाराम पुत्र कानाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
9. सादुलराम पुत्र कानाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
10. हीराराम पुत्र कानाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र सवाराम कौम चौधरी निवासी गिराद का ढाणी तहसील समदडी
2. रामाराम पुत्र सवाराम कौम चौधरी निवासी गिराद का ढाणी तहसील समदडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

उपस्थितः–

1. श्री गजेसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2. प्रतिवादीगण एकपक्षीय

::निर्णय::

दिनांकः– 13·02·2026

यह वाद वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व रा.का.अ. की धारा 183 व 188 के तहत पेश किया है। वाद पत्र का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि वादीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 11.00 बीघा ग्राम गिराद का ढाणा तहसील समदडी में आई हुई है।वादीगण के खसरा के उत्तर दिशा में सरहद खेजडियाली में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 175 रकबा 20.15 बीघा आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के खसरों के बीच सेढा सीधा है तथा दोनो खेतों के उत्तर पूर्वी कोने पर छोटी मगरी के पत्थर सीमा का निर्धारण हेतु सेटलमेन्ट के समय से मुटाम कायम हो रखा है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने वादीगण के खसरा संख्या 3 पर नाजायज दखल/अतिक्रमण कर मकान के निर्माण हेतु राँग भरकर कुछ हिस्से पर छीणे खड़ी कर व पिल्लर लगा कर तारबंदी व बाड़ कर अतिक्रमण कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

भूमि को नाकाबिल कास्त से महरूम कर अपूर्णीय क्षति कारित की है। वादीगण द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अतिक्रमण को सुस्पष्ट करने हेतु मौके का नजरी नक्शा परिशिष्ट ''अ'' वादपत्र के साथ पेश किया है। वादीगण अवैध व अनुचित रूप से अतिक्रमण कर लाठी के बल पर वहां रहवास हेतु तामिर का निर्माण भी करवा रहे है, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा वादीगण की भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर कब्जे को पक्का करने का प्रयास किया जा रहा है जबकि वादीगण की भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई अधिकार व हक नहीं है। ऐसी स्थिति में वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अवैध कब्जा हटाकर पुनः कब्जा प्राप्त करने हेतु यह वाद पेश किया है।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर होकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगणों के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादीगण द्वारा अपने वादपत्र के समर्थन में स्वंय pw -1 स्वंय प्रभूराम के बयान कलमबद्ध करवाये गये एवं दरम्यान साक्ष्य वादग्रस्त भूमि से सम्बन्धित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

हमने वकील वादीगण की बहस सुनी।

वादीगण वकील द्वारा दरम्यान बहस वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए पत्रावली पर पेश दस्तावेजी साक्ष्य सबूतो के आधार पर वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

हमने वादीगण वकील की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर पेश वादीगण के बयान का अवलोकन किया साथ ही वादी द्वारा पेश दस्तावेज सबूत जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 1 व नक्शा ट्रेस का गहनता से अध्ययन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:11 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा साक्ष्य सबूत में प्रस्तुत प्रदर्श [illegible] व 2 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण वादग्रस्त आराजी मौजा [illegible] का [illegible] तहसील समदडी के खसरा संख्या 3 रकबा 11.00 बीघा के रेकर्डेड खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा बावजूद सूचना अनुपस्थित रहना वादीगण के दावा को स्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की मौन स्वीकृति प्रतीत होती है। वादीगण ने वादग्रस्त भूमि के

सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

रेकर्डेड खातेदार है तथा अपने खातेदारी भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किये गये अतिक्रमण से प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को बेदखल करने हेतु व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध स्थाई निषेघाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया है। वादीगण के खातेदार भूमि खसरा संख्या 3 रकबा 11.00 बीघा में स्थाई निषेघाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर वादीगण के खातेदारी भूमि मौजा गिरादा का ढाणा के खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 11.00 बीघा की भूमि का सीमाज्ञान कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया कब्जा वादीगण की खातेदारी में पाया जाने पर इसे नियमानुसार हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार समदड़ी द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदड़ी आदेश की पालना कर पालना रिर्पोट एक माह में पेश करे। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जारी की जाती है कि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 3 रकबा 11.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिकमण, अतिचार नहीं करें एवं वादीगण के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। तहसीलदार समदड़ी को अधिकृत किया जाता है कि यदि आवश्यक हो तो अपने स्तर पर पुलिस इमदाद प्राप्त करें। डिकी पर्चा जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13-02-2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:21 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(SDO) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

राजस्व प्रकरण संख्या 11 / 2016

1. प्रभूराम पुत्र चमनाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
2. नवलाराम पुत्र हिन्दूराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
3. सूजाराम गोद पुत्र आसाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
4. झमकू पत्नी आसाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
5. चेनाराम पुत्र जोगाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
6. गजरोदवी पत्नी जोगाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
7. रामाराम पुत्र जगमाल कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
8. सांवलाराम पुत्र कानाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
9. सादुलराम पुत्र कानाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी
10. हीराराम पुत्र कानाराम कौम कलबी,निवासी गिराद का ढाणा तहसील समदडी

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपाराम पुत्र सवाराम कौम चौधरी निवासी गिराद का ढाणी तहसील समदडी
2. रामाराम पुत्र सवाराम कौम चौधरी निवासी गिराद का ढाणी तहसील समदडी
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार समदडी

दावा बाबत कब्जा प्राप्ति एवं स्थाई निषेधाज्ञा व्यादेश

निर्णय दिनांक : – 13.02.2026

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री गजेसिंह भाटी अधिवक्ता पेश होकर वादी का वाद स्वीकार कर डिगरी दी जाती है कि ग्राम मौजा गिराद का ढाणा तहसील समदडी के खेत खसरा नम्बर 3 रकबा 11.00 बीघा की भूमि का सीमाज्ञान कर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 द्वारा किया गया कब्जा वादीगण की खातेदारी में पाया जाने पर इसे नियमानुसार हटाया जाकर वादग्रस्त भूमि का कब्जा वादी को सुपुर्द करने की कार्यवाही तहसीलदार समदड़ी द्वारा किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। इस आशय की शाश्वत व्यादेश की आज्ञप्ति प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध जारी की जाती है कि वादीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 3 रकबा 11.00 बीघा भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 स्वयं, उनके पारिवारिक सदस्य, प्रतिनिधि, मजदूर इत्यादि किसी प्रकार का अतिक्रमण, अतिचार नहीं करें एवं वादी के उपयोग व उपभोग में बाधा नहीं पहुंचावें। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13.02.2026 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.04.03 14:48:11 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना